झारखण्ड

JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची–8240004

लोक सुनवाई की सूचना

राष्ट्रीय राज्यमार्ग–33, राँची से रारगाँव के चौड़ीकरण हेतु का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक **10.01.2011(दिन–सोमवार)** को पूर्वाहन् 11.00 बजे **बुंडू सब डिवजीजन कार्यालय परिसर, बुंडू, जिला राँची** में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह के पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **राँची** पर्षद के **क्षेत्रीय कार्यालय, तुपुदाना, पो0 हटिया, जिला–राँची** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **राँची**
2. जिला उद्योग केन्द्र **राँची**
3. जिला पर्षद्/नगर निगम **राँची**
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, **तुपुदाना, पो0 हटिया, राँची।**
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,ए–3,चन्द्रशेखरपुर,, भुवनेश्वर–751023
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।

30/11

(एस०के० सिन्हा)

सदस्य सचिव

Qadir\Pub.Hearing\369